कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक–2527 / 22-3 मुरादाबाद, दिनांक, मार्च, 09 2017.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अमरोहा वन प्रभाग,
अमरोहा।

विषय :– अमरोहा में बदायूं–बिजनौर मार्ग (एन0एच0–51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या–79, में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः– आपकी पत्र संख्या–1887 / 14–1 दिनांक– 01.03.2017.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा विषयक प्रकरण में प्रेषित सूचना (*भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक– 11.7.2014 की शर्त संख्या–1 से 7 का अनुपालन प्रयोक्ता द्वारा किया गया है*) अपूर्ण है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन के पत्र दिनांक–12.01.2017 द्वारा वांन्छित शर्त संख्या– 1 से 7 तक के अनुपालन के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वृत्त स्तर से बिन्दुवार सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आर0पी0वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।